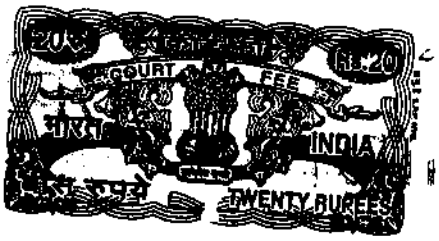

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   /2016 निगरानी   नि0 - 938 - II-16

श्रीमती पार्वती पुत्री चप्पे किरार पत्नी ओमप्रकाश किरार निवासी ग्राम दिगंवा हाल निवास भऊआपुरा तह. सेंवढा जिला दतिया म.प्र.

——आवेदिका

बनाम

Shri - S.P. Dhakad. Ad.
17/03/2016

17.3.16

1. हरविलास पुत्र चप्पे किरार निवासी ग्राम दिगंवा तह. सेंवढा जिला दतिया म.प्र.
2. इमरती बाई पुत्री चप्पे पत्नी भगवानदास किरार निवासी ग्राम दिगंवा तह. सेंवढा जिला दतिया हाल निवासी चीना तह. सेंवढा जिला दतिया म.प्र.

——अनावेदकगण

(Dhakad 17.3.16)

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र. क. 175/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

निगरानी के संक्षेप मे तथ्य :—

1. यह कि, संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम दिगंवा के भूमिस्वामी क. 40, 76, 146, 148 व 468 कुलकिता 5 कुल रकवा 5.62 हे. बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क. 53, 70, 71, 91, 104, 136 व 1063 भूमि स्थित ग्राम दिगंवा में है के भूमिस्वामी आवेदक एवं अनावेदकगण के पिता चप्पे पुत्र गोविन्दी किरार थे। उनकी मृत्यु दिनांक 05.01.2001 के बाद अना. क. 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष नामांतरण पंजी क. 47 दिनांक 20.10.1984 से आदेश दिनांक 24.12.1984 से बिना नामांतरण नियमों का पालन किये राजस्व निरीक्षक ने मृतक भूमिस्वामी चप्पे के स्थान पर रेस्पोडेन्ट क. 1 हरविलास के नाम अवैध रूप से नामांतरण करा लिया जिसके विरुद्ध अनु.वि.अधि. सेंवढा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसका प्रक्र. 06/अपील/96–97 पर दर्ज किया जाकर अपील में पारित आदेश दिनांक 25.01.1999 को उक्त पंजी क. 47 आदेश दिनांक 24.12.1984 निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार दिनांक 24.12.1984 से उक्त आदेश निरस्त कर पूर्व भूमिस्वामी चप्पे के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये एवं उसके पश्चात अनावेदकगण क. 1 द्वारा भूमिस्वामी चप्पे की मृत्यु के बाद एक कूटरचित फर्जी वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त थरेट तह. सेंवढा के समक्ष आवेदन पत्र संहिता की धारा 109/110 के अधीन प्रस्तुत किया गया। [illegible]

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 938-दो/2016 निगरानी जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों अ के हस्ताक्षर
8-8-16.	यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 175/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-2-2016 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि ग्राम दिगुवॉ के भूमिस्वामी चप्पे के नाम भूमि सर्वे कमांक 40,78,146,148,468 जिसके बंदोवस्त के वाद सर्वे कमांक बदल चुके है एंव जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है , पर भूमिस्वामी के पुत्र हरविलास का ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 47 पर आदेश दिनांक 20-10-1984 से नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 6/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 25-1-99 अपील स्वीकार की गई, परन्तु आदेश का अमल शासकीय अभिलेख में नहीं हुआ। दिनांक 5-1-2001 को चप्पे की मृत्यु हुई, जिस पर से तहसील न्यायालय में नामान्तरण का दावा प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 14/2000-01 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 24-4-2001 से मृतक के पुत्र हरविलास का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्व महिला पार्वती पुत्री चप्पे ने अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा के समक्ष अपील कमांक 69/12-13 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 12-9-14 को अपील स्वीकार की गई तथा हरविलास तथा पार्वती का समान रूप से नामान्तरण किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 24-4-2001 के विरूद्व दूसरी अपील महिला इमरती ने मृतक चप्पे की पुत्री होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय	

अधिकारी ने प्रकरण कमांक 19/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-2-2015 से बसीयत के आधार पर तहसीलदार सेवढ़ा द्वारा प्रकरण कमांक 14/अ-6/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 24-4-2001 को उचित ठहराया तथा पंजीकृत बसीयत प्रमाणित पाये जाने से वादग्रस्त भूमि पर मृतक चप्पे के स्थान पर बसीयतग्रहीता पुत्र हरविलास का नामान्तरण करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 175/ 2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-2-2016 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 14/अ-6/2000-01 में सुनवाई के दौरान हरविलास द्वारा प्रस्तुत पॅजीकृत बसीयत प्रमाणित पाई गई है। तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 24-4-2001 में , अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12-2-2015 में तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के आदेश दिनांक 29-2-16 में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मृतक चप्पे की पैत्रिक भूमि न होकर स्वअर्जित भूमि है स्वअर्जित भूमि का भूमिस्वामी बसीयत करने, अन्य सॅशाधनों द्वारा भूमि के प्रत्येक प्रकार के संव्यवहार करने हेतु स्वतंत्र होता है ऐसी भूमि में भूमिस्वामी के रक्तोदरों का जन्मजात हिस्सा नहीं होता है, जिसके कारण तीनों न्यायालयों द्वारा पंजीकृत बसीयत के सम्बन्ध में निकाले गये निष्कर्ष उचित पाये गये हैं जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में व्यक्त किया है कि मृतक चप्पे की तीन संतानें पुत्र हरविलास, पुत्री इमरती, पुत्री पार्वती हैं जिनका वादग्रस्त भूमि में समान स्वत्व है। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के आदेश दिनॉक 12-2-15 के पृष्ठ-6 के पैरा एक में इस प्रकार अॅकन है -

- प्रश्न क. 2 के सम्बन्ध में मेरे द्वारा विवेचना की गई कि पार्वती द्वारा व्यवहार वाद क. 83 ए /13 में चप्पे द्वारा हरिविलास के हक में की गई बसीयत दिनॉक 9-7-1985 को शून्य एंव प्रभावहीन एंव

(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण कमांक 938-दो/2016 निगरानी जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	वादग्रस्त आराजी पर भूमिस्वामी घोषित किये जाने के लिये व्यवहार प्रस्तुत किया जो व्यवहार वाद दि.30-9-2014 को साक्ष्य के अभाव में पार्वती द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त हो चुका है। व्यवहार न्यायालय द्वारा वसीयत दि. 8-7-85 के विरूद्ध कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की है इसलिये मेरे मतानुसार वसीयत अंतिम हो गई है। * विचार योग्य है जब चपे की पुत्रियाँ अपना स्वत्व सम्बन्धी दावा माननीय व्यवहार न्यायालय में प्रमाणित करने में असफल रही है तथा पंजीकृत वसीयत तहसील न्यायालय में साक्ष्य से पुष्टिकृत है एंव व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं जिसके कारण पुष्टिकृत वसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 14/अ-6/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 24-4-2001 से मृतक चपे के स्थान पर वसीयतग्रहीता हरविलास का नामान्तरण करने में त्रुटि नहीं हुई है और इन्हीं कारणों से तहसीलदार वृत्त थरेट तहसील सेवढ़ा के आदेश दिनांक 24-4-2001 को अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ ने आदेश दिनांक 12-2-15 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 29-2-16 पारित करते समय हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। विचाराधीन निगरानी में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण उनमें हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है। 6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 175/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनॉक 29-2-2016 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है। सदस्य	